न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 08/2015

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
मला पुत्र सोना जाति कुम्हार निवासी केसुरी तहसील सांचौर	1	राजस्थान सरकार जरिए तहसील सांचौर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11.2.19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 239/1992 बअनवान सरकार बनाम मला में पारित निर्णय दिनांक 13.11.1992 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम होती गांव तहसील सांचौर के खसरा नम्बर 827 व 827/1 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा भूमि का आंवटन उपखण्ड अधिकारी सांचौर द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 31.12.1982 को किया गया था। इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा सीलिंग प्रिमियम राशि दिनांक 24.01.1983 को जमा करवाए। जिस पर अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 932 दायर किया गया है। सेटलमेन्ट के पश्चात इस भूमि के नये खसरा नम्बर 962 रकबा 2.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 960/1208 रकबा 0.25 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 960/1208 रकबा 0.25 हैक्टेयर अपीलाण्ट के नाम दर्ज किया गया। वर्ष 1992 में अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण संख्या 45/1992 के सम्बन्ध में नोटिस प्राप्त हुआ, जिस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु अपने अधिवक्ता को नियुक्त किया गया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष क्या कार्यवाही हुई, इसकी जानकारी अपीलाण्ट को नहीं हुई। अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर यह जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिए बिना ही अपीलाण्ट के नाम किए गए आवंटन को खारिज़ कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का यह आधार रहा कि अपीलाण्ट द्वारा सीलिंग

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रिमियम की राशि अदा नहीं की, जबकि अपीलाण्ट द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवा दिया था तथा कोई शुल्क अथवा राशि बकाया नहीं थी। जैर अपील विवादित आराजी पर वक्त आवंटन से अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है तथा अपीलाण्ट द्वारा आवंटन शर्तों की पालना की जा रही हैं। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को किए गए आवंटन को निरस्त किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील निर्णय दिनांक 13.11.1992 को पारित किया गया है तथा अपीलाण्ट द्वारा यह अपील दिनांक 15.05.2015 को प्रस्तुत की है, जो मियाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा निर्णय पारित होने के 23 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु कोई युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किया है, विधि अनुसार देरी का प्रतिदिन के अनुसार कारण दर्शित किया जाना आवश्यक एवं आज्ञापक है, अपीलाण्ट द्वारा ऐसे किसी विशेष कारणों का उल्लेख नहीं किया है, जिनको दृष्टिगत रखते हुए अपील अन्दर म्याद शुमार योग्य हो। अपीलाण्ट को उक्त प्रकरण की जानकारी वर्ष 1992 से ही थी, इसके बावजूद अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया, कि उसे प्रकरण की जानकारी ही नहीं थी। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, वह आधारहीन है। इस कारण अपील म्याद बाहर होने से एवं सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रवली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर अपील निर्णय दिनांक 13.11.1992 को पारित किया गया है तथा निर्णय पारित होने के 23 वर्ष पश्चात हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2015 (1) पेज 232 भानूप्रतापसिह बनाम श्रीमति घनश्याम कुमारी व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "परिसीमा अधिनियम 1963–धारा 5– सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 – धारा 96 – विलम्ब का शमन – अपील पेश करने के 271 दिनों का विलम्ब – विभाजन तथा कब्जा हेतु वाद – 271 दिनों के विलम्ब के लिये सम्याभासी कारण नही बताया गया। मियाद बाधित होने से अपील खारिज की गई।" इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1331 में प्रतिपादित किया कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 – विलम्ब का शमन, एस.एल.पी. पेश करने में 481 दिनों का विलम्ब – आधार लिया कि पत्रावली के एक विभाग/अधिकारी से दूसरे में आने के कारण विलम्ब हुआ, पर्याप्त एवं ठोस आधार नही– विलम्ब शमन हेतु मामला नहीं बनता है।" इसी प्रकार आर0आर0टी0 2014 (2) पेज 1349 में माननीय राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह व्यवस्था प्रदान की है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

"परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, धारा 224 – अपील पेश करने में 9 वर्ष का विलम्ब – प्रथम अपील भी कालबाधित थी, प्रत्येक तारीख पर उपस्थित होकर अपने मामले की जानकारी रखना मुवक्किल का दायित्व है। वाद भी एकपक्षीय डिक्री हुआ, अपीलाण्ट के वकील को सुनने के बाद प्रथम अपील निर्णित की। विलम्ब हेतु सन्तोषप्रद स्पष्टीकरण नहीं, निर्णित, आवेदन व अपील खारिज होने योग्य है। उक्त समस्त न्यायिक सिद्धान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतः चस्पा होते है। उपरोक्त न्याय सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत अपील का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर मियाद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें ऐसा कोई यथोचित कारण दर्शित नहीं किया गया, जिस पर यह विश्वास किया जा सके कि अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी दिनांक 13.04.2015 को हुई हो। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील को अन्दर म्याद शुमार करवाने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रस्तुत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है, जिसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की अपील अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 239/1992 बअनवान सरकार बनाम मला में पारित निर्णय दिनांक 13.11.1992 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11-2-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर